ग्राम पंचायत नघेता, विकास खण्ड पांवटा साहिब ज़िला सिरमौर के लेखाओं का अंकेक्षण व निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.04.2014 से 31.03.2017

भाग-I

1 प्रस्तावना:-

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने के उपरान्त व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव, पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पीसीएच-एचसी-(5) सी(15) एलएडी/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओ के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत नघेता, विकास खण्ड पांवटा साहिब, ज़िला सिरमौर के अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत मे निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे;

प्रधान:-

क्रमांक	प्रधान	अवधि
1	श्रीमती लता देवी	23.01.2011 से 22.01.2016
2	श्री सुरेश कुमार	23.01.2016 से लगातार

सचिव:-

क्रमांक	सचिव	अवधि
1.	श्री जितेंदर थापा जी	06/1999 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:- ग्राम पंचायत नघेता, विकास खण्ड पांवटा साहिब के लेखों का अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम सं0	पैरा संख्या	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि
1	7	गृहकर की शेष वसूली	0.14
2	8	अनुदान की राशी का उपयोग न करना	4.74
3	**9**	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टोर/स्टॉक सामग्री का क्रय	3.24
4	10	क्रय की गई सामग्री की स्टोर/स्टॉक प्रविष्टि न करना	-----
5	11	जे.सी.बी चार्जीस का अनियमित भुगतान	2.40

6	12(i)	वितीय वर्ष 2014-15 में रोकड़ बही में दर्ज राशी से Online पाया गया अधिक भुगतान	3.02
7	12(ii)	वितीय वर्ष 201 5-16, 2016-17 में रोकड़ बही में दर्ज व्यय भुगतान व् ऑनलाइन भुगतान में अन्तर	5.50
8	12(iii)	योजना की शर्तों के अनुरूप 60:40 अनुपात में राशि खर्च न करके किया गया अधिक व्यय/भुगतान	8.27
9	13(i)	निर्माण कार्यो पर किये गए व्यय का तकनीकी प्राधिकारी द्वारा किये गए मूल्यांकन से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करना	33.96
10	14(ii)	सरकार द्वारा निर्धारित दरों से अधिक दर से मजदूरी की अदायगी कर किया गया अधिक भुगतान	0.13

भाग –दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत नघेता, विकास खण्ड पांवटा साहिब, ज़िला सिरमौर के अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री राकेश कुमार चौहान, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक **04.12.17 से 06.12.2017 तथा 11.12.2017 से 13.12.2017** को ग्राम पंचायत नघेता के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्नलिखित मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों मे समाविष्ट किया गया है;

वर्ष	आय माह	व्यय माह
2014-15	08/2014	02/2015
2015-16	03/2016	05/2015
2016-17	06/2016	03/2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूप पंचायत के नियंत्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्तिथि मे अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत नघेता, विकास खण्ड पांवटा साहिब, ज़िला सिरमौर के अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क **₹6000** बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से **निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009** को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या

जी.पी.(आडिट)/पांवटा साहिब/2017-18-16 दिनांक 13.12.2017 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत नघेता से अनुरोध किया गया है।

4 वित्तीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत नघेता द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी:-

(i) स्व स्त्रोत:- ग्राम पंचायत नघेता के अवधि 01/4/2014 से 31/3/2017 स्व: स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट–1 में दिया गया है:-

वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2014-15	---------	23085.00	23085.00	22719.00	366.00
2015-16	366.00	7331.00	7697.00	3345.00	4352.00
2016-17	4352.00	28166.80	32518.80	34109.00	(-)1590.20

नोट:- सचिव ग्राम पंचायत द्वारा स्वः स्त्रोत से प्राप्त आय-व्यय को भी सामान्य निधि में ही जमा करवाया गया है तथा स्वः के स्त्रोत का अलग से खाता न होने के कारण प्रारंभिक शेष ज्ञात नहीं किया जा सका है | जिस कारण पंचायत निधि की उपरोक्त वितीय स्थिति वर्ष 2016-17 में ऋणात्मक शेष दर्शा रही है, जिस बारे वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाए| जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 के अनुसार स्वयं के स्त्रोत की आय को पृथक से खाता खोलकर खाता-"क" में रखे जाने का प्रावधान है । अतः स्वयं के स्त्रोत से प्राप्त होने वाली आय व व्यय को पृथक से खाता खोलकर उसमे आय को जमा किया जाना व उसी खाते से व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

ii) अनुदान:- ग्राम पंचायत नघेता के अवधि 01/4/2014 से 31/3/2017 की अनुदानों की वितीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **{परिशिष्ट-2 व 2A}** मे भी दिया गया है ।

वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्त शेष
2014-15	35870.20	2679181.00	2715051.20	2689861.40	25189.80
2015-16	25189.80	1807366.00	1832555.80	1551849.00	280706.80
2016-17	280706.80	7476520.00	7757226.80	7283158.14	474068.66

नोट :- रोकड़ बही में मासांत/वर्षांत प्रारम्भिक व अंतिम शेष नहीं दर्शाए गए है। अतः बैंक पास बुकों के दिनांक 01/04/14 के प्राम्भिक शेष को ही वितीय स्थिति का दिनांक 01/04/14 का प्रारम्भिक शेष (opening balance) लिया गया है ।

5 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना :-

रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था। जबकि हि० प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों के साथ मिलान करना अपेक्षित था । अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान न करना

नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः रोकड़ बही और बैंक खातों का मिलान न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में नियमानुसार पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

क्रमांक	विवरण	राशि (`₹)	परिशिष्ट
1.	स्व: स्त्रोत	(-)1590.20	1
2.	अनुदान	474068.66	2
3.	समेकित वितीय स्थिति के अनुसार शेष	472478.46	3
4.	विभिन्न बैंकों में जमा राशि	**472478.46**	4
	अन्तर	**शून्य**	

विभिन्न बचत बैंक खातों में 31.03.2017 को जमा राशि का ब्यौरा

क्रमांक	अनुदान	बैंक का नाम	बचत खाता संख्या	31.03.2017
1.	सामान्य निधि	HPSCB, Paonta sahib	56210100019	222568.46
2.	BRGF	-----do------	56210118379	667.00
3.	MANREGA	-----do------	56210116600	----------
4.	IAY	SBI, Rajpura	11630516119	----------
5.	RAY	HPSCB, Paonta sahib	56210119379	43826.00
6.	14th FC	-----do------	56210125339	203781.00
		बचत बैंक खातों में जमा कुल राशि		**₹470842.46**
		हस्तगत शेष (सामान्य निधि)		**1636.00**
		31.03.2017 को कुल शेष राशि		**₹472478.46**

6 स्वः स्त्रोतः-

ग्राम पंचायत नघेता को गत तीन वर्षों में स्वयं के स्त्रोत से प्राप्त आय के अवलोकन से ज्ञात होता है कि ग्राम पंचायत को स्वयं के स्त्रोत से बहुत ही कम आय प्राप्त हो रही है जिसका प्रमुख कारण पंचायत द्वारा पिछले कई वर्षो से गृहकर व अन्य करों की दरें ही निर्धारित न करना है, क्योकि उक्त दरों के निर्धारण से सम्बंधित कोई भी अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किये गए। यद्यपि सचिव ग्राम पंचायत नघेता द्वारा उनके पत्र क्रमांक:G.P.Nagheta-3/17-18 दिनांक 12/12/2017 (परिशिष्ट–5) द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान विभिन्न करों व शुल्कों की वसूली निम्नलिखित दरों से की गयी दर्शायी गई है।

नं	आय का साधन	दरें	विवरण
1	House Tax	20/- per year	2014-15
		20/- per year	2015-16
		20/- per year	2016-17
2	Land Revenue	---------	As per Govt. rates
3	Shop Rent	100/-pm	One shop, since, 1998
4	Marriage	10/-	3 Oct,2016 and thereafter

	registration fees	200/-	Registration within 30 days
		400/-	Registration within 90 days
5	Certificate fee	10/-	----------
6	Liquor cess	-------	As per govt. rates

अतः पंचायत निधि को प्राप्त होने वाली नियमित आय की वसूली दरों को निर्धारित न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में समय रहते इन दरों का नियमानुसार निर्धारण कर तदानुसार ही इन करों/शुल्कों की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए।

7 गृहकर ₹0.14 लाख वसूली हेतु शेषः-

सचिव ग्राम पंचायत नघेता द्वारा अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: जी.पी.ऑडिट/पांवटा साहिब/नघेता/2017-18-3 दिनांक 04/12/2017 के सन्दर्भ में उनके पत्र क्रमांक:G.P.Nagheta-3/17-18 दिनांक 12/12/2017 (परिशिष्ट–5) द्वारा गृहकर की शेष वसूली के बारे में जो सुचना प्रदान की गई उसके अनुसार दिनांक 31/03/201 7 को निम्नतालिकानुसार गृहकर **₹13,680** वसूली हेतु शेष थी। अतः उक्त राशि की शीघ्र-अतिशीघ्र वसूली सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

वर्ष	कुल परिवार	वार्षिक दर	कुल कर	प्राप्त राशि	शेष राशि
2014-15	342	20/-	6840/-	6840/-	------
2015-16	342	20/-	6840/-	-------	6840/-
2016-17	342	20/-	6840/-	------	13680/-
गृहकर की वसूली योग्य राशि			**20520/-**	**6840/-**	**13680/-**

इसके अतिरिक्त सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा आय की वसूली से सम्बन्धित **"मांग एवं वसूली पंजी"** का संधारण नहीं किया जा रहा है ऐसे में गृहकर शुल्क तथा अन्य शुल्कों से पंचायत को प्राप्त होने वाली आय का सही-सही पता नहीं लगाया जा सका। अतः पंचायत सचिव इस सम्बन्ध में अपने स्तर पर अभिलेख की पुनः जांच करते हुए वास्तविक वसूली योग्य राशि का आकलन करके सम्बन्धित से उसकी वसूली करते हुए पंचायत निधि में जमा करना सुनिश्चित करे तथा तदानुसार अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। इसके अतिरिक्त भविष्य में **"मांग एवं वसूली पंजी"** का संधारण भी किया जाये ताकि पंचायत को देय सही राशि का तुरन्त बोध हो सके तथा पंचायत को आय की हानि न हो।

8 अनुदान की ₹4.74 लाख उपयोग हेतु शेषः-

पंचायत सचिव द्वारा उपलब्ध कारवाई गई सूचना **(परिशिष्ट-2)** के अनुसार दिनांक 31/03/2017 तक अनुदान से प्राप्त **₹4,74,068** उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय

हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त कर उक्त राशि को व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बंधित संस्था को किया जाये।

9 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹3.24 लाख की स्टोर/स्टॉक सामग्री का क्रय:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है जिसके अनुसार **₹1000** से अधिक तथा **₹50,000** से कम राशि के क्रय हेतु **कोटेशन्स (Quotations)** आमंत्रित किया जाना तथा **₹50,000** से अधिक राशि के क्रय हेतु **निविदा आमंत्रित(Tenders)** किए जाने का प्रावधान है ताकि ग्राम पंचायत को प्रतियोगी मूल्यों का लाभ प्राप्त हो सके| जबकि नियम 67 (3) (a) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा प्रधान, उप प्रधान, ग्राम पंचायत द्वारा नामित दो वार्ड मेम्बर्स तथा सचिव को सम्मिलित करके एक उप समिति का गठन करके समिति द्वारा **निविदा/कोटेशन्स** आमंत्रित करने के उपरान्त ही क्रय किए जाने का प्रावधान है। परन्तु ग्राम पंचायत ने बिना उप समिति का गठन किये तथा नियमानुसार कोटेशन/निविदाएं आमंत्रित किए बिना ही स्टोर/स्टॉक की सामग्री का क्रय किया है, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तीजनक है। अतः उक्त व्यय/क्रय को नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में प्रत्येक व्यय/क्रय नियमानुसार तरीके से ही किया जाना सुनिश्चित किया जाये। उक्त नियमों की अवहेलना कर पंचायत द्वारा किये गये क्रय की कुछ मदों का ब्यौरा संलग्न {**परिशिष्ट- 6}** में दिया गया है।

10 क्रय की गई स्टोर/स्टॉक की सामग्री की प्रविष्टि न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 के अनुसार पंचायत द्वारा प्राप्त/क्रय की गई मदों को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करना अपेक्षित है परन्तु ग्राम पंचायत के अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा विभिन्न विकास कार्यों हेतु क्रय की गई विभिन्न मदों की स्टॉक प्रविष्टियाँ निर्धारित स्टॉक रजिस्टरों में दर्ज नहीं की जा रही है जोकि नियमनुसार अपेक्षित थी । अंकेक्षण अवधि में क्रय की गई कुछ मदें जिन्हें स्टोर/स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया था का ब्यौरा संलग्न **(परिशिष्ट- 6)** में दिया गया है ।

अतः क्रय की गई मदों की स्टॉक प्रविष्टियाँ सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए क्रय की गई प्रत्येक मद की स्टॉक प्रविष्टियाँ खपत विवरण सहित स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में स्टोर/स्टॉक रजिस्टरों का रख-रखाव नियमानुसार किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए अन्यथा यह राशि वसूली योग्य है।

11 जे.सी.बी चार्जीस का ₹2.40 लाख का अनियमित भुगतानः-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकास कार्यों हेतु जे.सी.बी को प्रति घंटे के आधार पर किराये पर लेकर **₹2,40,100** का भुगतान निविदाएं आमन्त्रित किये बिना ही किया गया है, जबकि पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 67 (5)(a)व(b) के अनुसार ₹1000 से अधिक की राशि के भुगतान/क्रय के लिये कोटेशन्स/निविदाएँ आमंत्रित की जानी अपेक्षित है। जबकि नियम 67(3) के अनुसार उक्त कार्यो हेतु कोटेशन्स/निविदाएँ आमंत्रित करने के लिए एक उप समिति का गठन किया जाना अनिवार्य था, जिनकी अनुपालना किये बिना ही पंचायत द्वारा जे.सी.बी को विभिन्न कार्यों हेतु उपयोग में लाया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। **इसके अतिरिक्त जे.सी.बी द्वारा करवाए गए कार्यों से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं सम्बन्धित कनिष्ट अभियंता/तकनीकी सहायक** द्वारा अंकेक्षण के दौरान आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं की गई, जिनकी अनुपस्तिथि में जे.सी.बी चार्जिस का लाखों रूपये के भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः सम्बन्धित अभिलेख को अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा जे.सी.बी द्वारा करवाए गये कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न ठेकदारों को जे.सी.बी चार्जिस का भुगतान करते समय कोई भी संवैधानिक कटौतियां नहीं की गई है जबकि नियमानुसार सम्बंधित ठेकेदारों से निम्नवर्णित संवैधानिक कटौतियां की जानी अपेक्षित थी ।

(क) आयकर 2%

(ख) सेल्स टैक्स 3%

(ग) प्रतिभूति राशि 10%

(घ) लेबर सेस 1%

अतः उपरोक्त कटौतियों को सम्बंधित बिल से न किये जाने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार सभी संवैधानिक कटौतियां करने के उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

जे.सी.बी चार्जीस का ₹2,40,100 के अनियमित भुगतान का विवरण

क्रमांक	फर्म/ठेकेदार का नाम	बिल/दिनांक	कार्य के घंटे	दर प्रति घंटा	कुल भुगतान
		सामान्य निधि (L/R SC बस्ती थापला)			
1	मुकेश कुमार दीघली	09/ 17.03.15	43	700/-	30100/-
		सामान्य निधि (मछली पालन सामूहिक टैंक)			
3	गोपाल सिंह तोमर	18/ 13.06.15	300	700/-	210000/-
				कुल अदायगी	**₹2,40,100/-**

12 मनरेगा योजना के अंतर्गत खर्च राशि से सम्बन्धित अनियमितताएँः-

(i) रोकड़ बही में दर्ज राशि से वर्ष 2014-15 व् 2015-16 के दौरान ₹3.02 लाख का Online अधिक भुगतान:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मनरेगा योजना के अंतर्गत **(Online Financial Statements)** के अनुसार विभिन्न विकास कार्यों हेतु किये गए भुगतान की राशि बिल/वाउचर के अनुसार रोकड़ बही में दर्ज की गई व्यय की राशि से वितीय वर्ष **2014-15** में **₹3,02,394** अधिक है। उक्त **Online** भुगतान तथा रोकड़ बही में दर्ज व्यय की राशि में उपरोक्त अन्तर बारे वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाये, यदि अन्तर की राशि अधिक भुगतान है तो उसकी उचित स्त्रोत से वसूली कर पंचायत निधि/सम्बन्धित कोष में जमा किया जाये तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये। उक्त अन्तर/अधिक भुगतान का ब्यौरा निम्नतालिकानुसार है;

वर्ष	रोकड़ बही में दर्ज कुल व्यय	चेक द्वारा किया गया भुगतान	रोकड़ बही के अनुसार कुल ऑन लाइन भुगतान	फाइनेंसियल स्टेटमेंट के अनुसार कुल भुगतान	अन्तर अधिक भुगतान (₹)
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4) [2-3]**	**(5)**	**(6) [5-4]**
2014-15	2090809	80559	2010250	2312644	**302394/-**

(ii) वितीय वर्ष 2015-16 व् 2016-17 में रोकड़ बही में दर्ज व्यय भुगतान व् ऑनलाइन भुगतान में ₹5.50 लाख का अन्तर:-

उपरोक्त पैरा के विपरीत वितीय वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 में रोकड़ बही में दर्ज राशि था ऑनलाइन फाइनेंसियल स्टेटमेंट्स के अनुसार व्यय भुगतान की राशि में निम्न तालिकानुसार ₹5,50,025 का अन्तर पाया गया है, जिस बारे सचिव अपने स्तर पर छान बीन कर अन्तर के कारणों का पता लगाकर तथा रोकड़ बही के साथ उसका पूर्णतः मिलान कर अंकेक्षण को तदानुसार वास्तविक स्थिति से अवगत करवाया जाए।

वर्ष	रोकड़ बही में दर्ज कुल व्यय/ भुगतान	फाइनेंसियल स्टेटमेंट के अनुसार कुल भुगतान	अन्तर (₹)
(1)	**(2)**	**(4)**	**(5) [5-4]**
2015-16	865674	462584	**403090/-**
2016-17	3297155	3150220	**146935/-**
		कुल अन्तर	**550025/-**

(iii) योजना की शर्तों के अनुरूप 60:40 अनुपात में राशि खर्च न करके निर्माण सामग्री के क्रय पर ₹8.27 लाख का अधिक व्यय/भुगतान:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मनरेगा योजना के दिशा निर्देशों के विपरीत निर्माण सामग्री की खरीद पर कुल खर्च की गयी राशि के 40% की निर्धारित सीमा से अधिक राशि खर्च करके **₹8,26,958** का अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है, जिस बारे विभागीय स्तर पर जाँच करके वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाए, अन्यथा नियमों के विपरीत योजना के निर्धारित मानदण्डों की अनुपालना न करके किये अधिक व्यय/भुगतान की गई राशि को उचित स्त्रोत से वसूलकर सम्बन्धित कोष में जमा करना सुनिश्चित किया जाए, तथा

अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। उपरोक्त बारे विस्तृत ब्यौरा संलग्न **परिशिष्ट-8** पर दिया गया है।

(iv) वितीय वर्ष 2014-15 में चेक द्वारा किये गए ₹49,000 के भुगतान का ऑनलाइन फाइनेंसियल स्टेटमेंट्स में पाया जाना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया कि वितीय वर्ष 2014-15 में चेक द्वारा तृतीय पक्ष को किये गए कुल 5 भुगतानों **{कुल राशि ₹79280}** में से निम्नतालिकानुसार दर्शाए गए 2 भुगतान **[राशि ₹49000}** ऑनलाइन फाइनेंसियल स्टेटमेंट्स में दर्ज पाए गए जबकि इसके अतिरिक्त अन्य 3 भुगतान **{राशि ₹30,280}** ऑनलाइन फाइनेंसियल स्टेटमेंट्स में दर्ज नहीं थे, यदि 2014-15 किये गए सभी व्यय भुगतान नियमानुसार/निर्देशानुसार ऑनलाइन दर्ज किये जाने थे तो **₹30,280** के व्यय भुगतान को ऑनलाइन दर्ज न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए, अन्यथा चेक द्वारा किये गए **₹49,000** के व्यय भुगतान को ही ऑनलाइन दर्ज करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए, साथ ही यह भी जाँच की जाए कि कहीं यह भुगतान दो बार तो नहीं किया गया है क्योकि उपरोक्त पैरा 12(i) के अनुसार वर्ष 2014-15 में ऑनलाइन किया गया भुगतान रोकड़ बही में दर्ज व्यय भुगतान से अधिक पाया गया है। अतः उक्त बारे जाँच कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाए, तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए| उपरोक्त का ब्यौरा निम्नानुसार है;

रोकड़ बही की तिथि	चेक संख्या द्वारा भुगतान	राशि (₹)	भुगतान ऑनलाइन दर्ज की तिथि	CBP	विवरण
28.04.14	273165	9280/-	--------	31	ऑनलाइन नहीं
14.06.14	**273167**	**25000/-**	**14.06.14**	35	ऑनलाइन दर्ज
14.06.14	**273168**	**24000/-**	**14.06.14**	35	ऑनलाइन दर्ज
21.06.14	273171	19000/-	--------	36	ऑनलाइन नहीं
22.08.14	273172	2000/-	--------	39	ऑनलाइन नहीं
		₹79280			

(v) स्वीकृत राशि से अधिक व्यय **₹0.03:-**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मनरेगा योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्य **"सिंचाई कुहल जिया राम की जमीन से नया बॉस"** हेतु योजना में **₹1,50,000** स्वीकृत थी जबकि उक्त कार्य पर सचिव ग्राम पंचायत द्वारा उनके पत्र संख्या GP.Nagheta-2/17-18 दिनांक 12.12.2017 (परिशिष्ट–7) द्वारा उपलब्ध करवाई गई **विकास कार्य सूचि (मनरेगा) के क्रमांक 4 कॉलम 8** के अनुसार उक्त कार्य पर ₹152650 का कुल खर्च दर्शाया गया है| अतः स्वीकृत राशि से अधिक खर्च/आहरित की गई राशि का या तो फंडिंग एजेंसी से खर्च उपरान्त अनुमोदन करवाया जाए, अन्यथा उक्त राशि को उचित स्त्रोत से वसूली कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अनियमितता बारे:-

(i) निर्माण कार्यो पर किये गए व्यय भुगतान का तकनीकी प्राधिकारी द्वारा किये गए मूल्यांकन से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत किये बिना किया गया ₹33.96 लाख का आहरण/भुगतान:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि विभिन्न निर्माण कार्यों पर खर्च की गई **₹33,96,393** के **सक्षम तकनीकी प्राधिकारी** से करवाए गए मूल्यांकन से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये, जिनकी अनुपस्थिति में किया गया व्यय भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः यदि उपरोक्त राशि का आहरण/भुगतान बिना मूल्यांकन के हुआ है तो वह अनियमित है। विकास कार्यों की सूचि {**परिशिष्ट-7**} के अनुसार बहुत से कार्य वर्ष 2014-15 या इससे भी पहले से शुरू किये गए है जोकि अंकेक्षण अवधि तक भी पूर्ण नहीं हुए थे और न ही इन कार्यों पर दर्शाए गए व्यय को तकनीकी प्राधिकारी द्वारा मूल्यांकित किया गया है, जोकि उक्त विकास कार्यों की सूचि के अनुसार स्वतः ही स्पष्ट है। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित **प्राक्कलन अभिलेख, माप पुस्तिकाएं, मूल्यांकन शीट्स तथा उक्त कार्यो के पूर्ण होने से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख** अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किये गए, जिस बारे वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाए कि कौन से कार्य पूर्ण हो गए है तथा कौन से कार्य प्रगति पर है तथा कौन से कार्य अधूरे/कितनी अवधि से बन्द पड़े है और उन पर दर्शाया गया व्यय सही है या नहीं अन्यथा, भुगतान/आहरण अनियमित पाए जाने की स्थिति में आहरित राशि को उचित स्त्रोत से वसूलकर सम्बन्धित कोष में जमा कर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

अनुदान	कुल व्यय भुगतान	विवरण
मनरेगा	894593/-	Work JE level
General	556945/-	------do------
BRGF	836170/-	------do------
14thFC	1108685/-	------do------
कुल	**₹33,96,393/-**	

(ii) निर्माण कार्यों के प्राक्कलन/अभिलेख इत्यादि का सही तरीके से रख-रखाव न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 व 95 की अनुपालना में ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु अपेक्षित **प्राक्कलन, प्रशासनिक अनुमोदन, व तकनीकी स्वीकृति कार्य पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र व उपयोगिता प्रमाण-पत्र** इत्यादि से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किये गये, जिनकी अनुपस्थिति में निर्माण कार्यों पर खर्च किये गये लाखों रूपये के व्यय का माप पुस्तिकाओं तथा सम्बन्धित अभिलेख के अनुसार पुर्णतः जाँच नहीं की जा सकी। जिससे विकास कार्यो पर दर्शाया गया व्यय प्राक्कलन व् अधिकारिक अनुमोदन के अनुसार सही था भी या नहीं इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकी और न ही कार्यों के पूर्ण होने की स्थिति ज्ञात हो सकी। अतः उक्त अभिलेखों को प्रस्तुत न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उन्हें पूर्णतः तैयार करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि पंचायत द्वारा निष्पादित करवाए जा रहे लाखों रूपये के निर्माण कार्यों की पूर्ण जाँच सम्भव/सुनिश्चित हो सके।

14 व्यय से सम्बन्धित अनियमितताएं:-

(i) सीमेंट को HPSCSC, Ltd से न खरीदकर ₹0.03 लाख का अधिक भुगतानः-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा सीमेंट की खरीद (निम्न तालिकानुसार) HPSCSC, Ltd से न करके निजी विक्रेताओं से की गई है जिसके फलस्वरूप पंचायत निधि से **₹3,120** का अधिक भुगतान हुआ है। जबकि उक्त खरीद को निजी विक्रेता से करने से पूर्व पंचायत द्वारा HPSCSC, Ltd से उक्त अवधि में सीमेंट की आपूर्ति न करने बारे कोई भी अनापत्ति (NOC) प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया था, क्योकि ऐसा कोई भी अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उक्त खरीद को HPSCSC, Ltd से न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये, अन्यथा उक्त खरीद पर अधिक व्यय की गई राशि को सम्बन्धित से वसूलकर पंचायत निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। सीमेंट की उक्त खरीद का ब्यौरा निमनानुसार है।

सामान्य निधि

क्रम संख्या	विक्रेता का नाम	बिल संख्या व दिनांक	सीमेंट की मात्र	प्रति बैग दर (₹)	HPSCC की दरें (₹)	अधिक भुगतान (₹)
1	अग्रवाल सीमेंट	71/ ---------	20	284/-	232/-	1040/-
2	-----do-----	07/ 19.10.14	40	284/-	232/-	2080/-
			कुल अधिक अदायगी			**₹3120/-**

(ii) सरकार द्वारा निर्धारित दरों से अधिक दर से मजदूरी की अदायगी कर ₹0.13 लाख का अधिक भुगतानः-

व्यय के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नतालिका में दर्शाए गए कुछ मस्टर रोल बिल्स पर सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई दरों से अधिक दर से अदायगी कर `**₹12756** का अधिक भुगतान किया गया है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा उक्त राशि को उचित स्त्रोत से वसूली कर सम्बन्धित कोष में जमा कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

M/R No.	Date of M/R	Category	Days	Rates Admiss-ible	Rate Paid	Excess Payment
12722	08/05/2014	Labour	50	170/-	200/-	1500/-
		Mistry	20	212/-	250/-	760/-
12723	25.10.2014	Labour	50	170/-	200/-	1500/-
		Mistry	10	212/-	250/-	380/-
12725	06.04.2015	Labour	35	180/-	200/-	700/-
		Mistry	16	222/-	250/-	448/-
12726	05.06.2015	Labour	43	180/-	200/-	308/-
		Mistry	11	222/-	250/-	860/-
91	04.08.12 to	Labour	250	130/-	150/-	5000/-
	28.08.2012	Mistry	50	166/-	192/-	1300/-
					Total excess payment	**₹12756/-**

(iii) व्यय बिलों/रसीदों पर क्रय की गई निर्माण सामग्री की मात्रा व् अन्य आवश्यक विवरण दर्ज न होना:-

व्यय के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान खरीदी गई निर्माण सामग्री की सम्बन्धित बिलों पर दर्ज नहीं पाई गई। सामग्री की मात्रा Cuft./cum/bags में प्राप्त न करके विक्रेता को व्यय का भुगतान गाड़ी के चक्करों के हिसाब से किया गया है जोकि अपने आप में स्पष्ट न होने के कारण संदिग्ध व् अनियमित प्रतीत होता है, साथ ही गाड़ी के चक्करों के अनुसार दर्शायी गई खरीद की मात्र प्राक्कलन में Cuft./cum/bags के हिसाब से दी गई मात्रा से कितनी कम या अधिक थी इस बारे पुष्टि नही की जा सकी। अतः उक्त ढंग से दर्शायी गई खरीद की जाँच की जाए ताकि दर्शाए गए व्यय भुगतान वास्तविकता तथा औचित्य स्पष्ट हो सके। उपरोक्त ढंग से किये गए व्यय के कुछ नमूने निम्न्तालिका में दर्शाए गए है।

अनुदान:-सामान्य निधि

ट्रांसपोर्टर:- शर्मा ट्रांसपोर्ट

दिनांक	बिल नं	सामग्री का नाम	दर	राशि
10.05.14	17	8 चक्कर पत्थर	2000/-	16000/-
01.11.14	133	7 चक्कर पत्थर	2000/-	14000/-
		6 चक्कर बजरी	2000/-	12000/-
		2 चक्कर रेत	2000/-	4000/-
03/2017	60	7 चक्कर बजरी	2000/-	14000/-
	59	5 चक्कर पत्थर	2000/-	10000/-
	58	4 चक्कर बजरी	2250/-	9000/-
		3 चक्कर पत्थर	2250/-	6750/-
		2 चक्कर रेत	2250/-	4500/-
03/2017	63	4 चक्कर रेत	2000/-	8000/-
		4 चक्कर पत्थर	2000/-	8000/-
03/2017	79	5 चक्कर बजरी	2250/-	11250/-
		3 चक्कर रेत	2250/-	6750/-
03/2017	75	4 चक्कर बजरी	2250/-	9000/-
		2 चक्कर रेत	2250/-	4500/-
				₹137750

15 बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 मे पंचायत के आय व्यय प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा मे पारित करवाना अपेक्षित था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को

तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुऐ भविष्य मे नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

16 रसीद बुकों के उपयोग से सम्बन्धित अनियमितता बारेः-

(क) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत सचिव द्वारा रसीदों से सम्बन्धित रसीद बुक स्टॉक रजिस्टर का संधारण नहीं किया गया है जिससे ग्राम पंचायत को जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय से प्राप्त/ तथा उसके नियमित उपयोग तथा स्टॉक में शेष बची रसीद बुक्स का सही-सही पता नहीं लगाया जा सका। अतः उक्त अभिलेख को नियमानुसार तैयार न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा सम्बन्धित अभिलेख पुर्णतः तैयार कर आगामी अंकेक्षण को प्रस्तुत करना भी सुनिश्चित किया जाए।

(ख) रसीद बुक्स की पड़ताल के दौरान पाया गया कि रसीद बुक्स पर हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5 (4) व (5) के अनुसार पंचायत सचिव तथा प्रधान द्वारा रसीद बुकों पर गणना से सम्बन्धित प्रमाण पत्र अंकित नहीं किया गया था तथा अधिकतर रसीदें बिना तिथि तथा जारीकर्ता के हस्ताक्षर के पाई गई, उन पर की गई कटटिंग्स तथा रद्द करने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापन भी नहीं किया जा रहा है।

17 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करनाः-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों /अभिलेखों का रखरखाव किया जाना अनिवार्य था अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रखरखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

1. अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर
2. रोकड़ बही तथा बैंक पास बुक में मिलान सारणी
3. चल अचल संपत्ति का रजिस्टर
4. आकस्मिक व्यय रजिस्टर
5. अग्रिमों का रजिस्टर
6. रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर
7. प्राक्कलन,तकनीकी स्वीकृति तथा प्रशासनिक अनुमोदन रजिस्टर
8. मांग व् प्राप्ति रजिस्टर
9. स्टेशनरी रजिस्टर
10. निर्माण सामग्री स्टोर रजिस्टर
11. मस्टर रोल्स इशू रजिस्टर
12. इन्वेंटरी रजिस्टर

18 प्रत्यक्ष सत्यापनः-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भंडार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भंडार का नियमानुसार

प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे स्तिथि स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अम्ल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

19 लघु आपत्ति विवरणिका :-

(i) ग्राम पंचायत निधि से किये जा रहे भुगतानों को मात्र ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा ही सत्यापित किया जा रहा है जबकि पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 49(1) के अनुसार कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जा सकता है। जब तक की ग्राम पंचायत के प्रधान व सचिव द्वारा शब्दों एवं अंको दोनों में देय रकम को इसमें विनिर्दिष्ट करते हुए संयुक्त: हस्ताक्षरित न किया गया हो। अतः भविष्य में पंचायत निधि से किये जाने वाले सभी भुगतानों को प्रधान व सचिव द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित करने के उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ii) पंचायती राज वित्त नियम, 2002 के नियम 7 के अनुसार प्रत्येक बिल/वाउचर पर ग्राम सभा द्वारा उस व्यय को पारित किये जाने से सम्बंधित प्रस्ताव संख्या व दिनांक को अंकित किया जाना अनिवार्य है जबकि ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान किये जा रहे किसी भी बिल/वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक को अंकित नहीं किया गया है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में उक्त नियम का पालन किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

20 निष्कर्ष:- लेखों में सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(x)23/2018 खण्ड–1–3963–3966 दिनांक 01.06.2018 शिमला–09
प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत
1. सचिव, ग्राम पंचायत नघेता, विकास खण्ड पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, सिरमौर, जिला सिरमौर हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड पांवटा साहिब, जिला सिरमौर हि0प्र0।

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881